कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक:-05.09.2022

दिनांक 05.09.2022 को श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता व पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री आर0एस0 गौतम, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन, अपर पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक आदमपुर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, तथा अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में दिनांक-07.09.2022 से 11.09.2022 तक मानाये जाने वाले लाट भैरव तिलकोत्सव/विवाहोत्सव/खिचड़ी के संबंध में संभ्रांत व्यक्तियों/पदाधिकारियों के साथ पीस कमेटी की बैठक अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय काशी-जोन पर की गयी । बैठक में मौजूद समस्त पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों से उपरोक्त त्यौहार के दृष्टिगत उनकी समस्याओं को सुना गया तथा शांति/सौहार्दपूर्ण वातावरण में लाट भैरव तिलकोत्सव/विवाहोत्सव/खिचड़ी को मनाये जाने की अपील की गयी तथा श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था एवं पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आगामी त्यौहार के दृष्टिगत मीटिंग के दौरान निम्न निर्देश दिये गये-

1. अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा पदाधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान उनकी समस्याओं को सुनते हुए आने वाली समस्याओं के निराकरण के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया।
2. अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा निर्देशित किया गया कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग तेज ध्वनि में नही करेगा। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित डेसीबल में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाउड स्पीकर की आवाज कार्यक्रम स्थल से बाहर न जाये।
3. अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस, शोभायात्रा नहीं निकाला जाएगा। अनुमति लेते समय इस बात का शपथ पत्र भी दिया जाएगा कि जुलूस कहां से कहां तक, कितने समय तक व कितने लोग उक्त जुलूस में सम्मिलित रहेंगे। केवल परंपरागत जुलूस, शोभायात्रा ही निकाला जाये।

4. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा गोष्ठी में मौजूद समस्त व्यक्तियों से अपील की गयी कि आप लोग अफवाहों से बचें, यदि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो अफवाह फैलाते हो तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर अवगत कराएं। यदि कोई व्यक्ति अफवाहों पर विचार कर किसी प्रकार का कोई उद्दंडता करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
5. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा उक्त के अतिरिक्त सर्व सम्बन्धित को अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया/अन्य माध्यमों से नफरत व द्वेष फैलाने वाले अफवाहों से बचें तथा स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार को कोई मैसेज न भेजे जिससे कानून व्यवस्था के प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पाये। सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त,
जोन-काशी,
कमिश्नरेट-वाराणसी।